| |
|---|
| दिनांक 30.07.2022 |
| प्रेस विज्ञप्ति 30/2022 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली पडरौना

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 30.07.2022 को थाना कोतवाली पडरौना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंडक नहर पुलिया सिधुआ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजा खरवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पटहेरवा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–राजा खरवार निवासी खाकी टोला चौबीली थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।

**बरामदगी**

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

## कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने व चॉदी के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा, 04 जीवित, 03 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 30.07.2022 को थाना गोमतीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सहारा ओवर ब्रिज के पास सुरक्षा वाहिनी को जाने वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सिराज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में सोने व चॉदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा , 04 जीवित, 03 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सुल्तानपुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर हत्या, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट लखनऊ के पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट लखनऊ से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद सोने व चॉदी के आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–सिराज निवासी छठा मिल आई0एम0रोड रामपुर भिटौली खुर्द थाना मडियॉव लखनऊ, मूल निवासी ग्राम गोरा वारिक अमहट थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर।

**<u>बरामदगी</u>**

1–चोरी की भारी मात्रा में सोने व चॉदी के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा , 04 जीवित, 03 खोखा कारतूस आदि।

## जनपद झांसी/थाना कोतवाली

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 69 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 30.07.2022 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–कल्यान उर्फ बल्ली 2–विनोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 69 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–301/2022 धारा 379/411 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित थे तथा गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–कल्यान उर्फ बल्ली निवासी टपरिया हंसारी थाना प्रेमनगर जनपद झांसी।

2–विनोद निवासी आजाद नगर हंसारी थाना प्रेमनगर जनपद झांसी।

**<u>बरामदगी</u>**

1—चोरी के 02 लाख 69 हजार रूपये नगद।

## <u>जनपद शामली/थाना थानाभवन</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 39 हजार 400 रूपये नगद आदि**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.07.2022 को थाना थानाभवन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम चन्देनामाल से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—शिवम 2—संकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 39 हजार 400 रूपये नगद , घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.07.2022 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0—270/2022 धारा 392/427 भादवि पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध मे थाना थानाभवन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1—शिवम निवासी चन्देनामाल थाना थानाभवन जनपद शामली।

2—संकित निवासी चन्देनामाल थाना थानाभवन जनपद शामली।

**<u>बरामदगी</u>**

1—लूट के 39 हजार 400 रूपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

## कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लालपुर पाण्डेयपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **25 हजार रूपये नगद**
- **विभिन्न बैंको के 36 एटीएम कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.07.2022 को थाना कोतवाली लालपुर पाण्डेयपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रिंग रोड अण्डर बाईपास पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–सतेन्द्र कुमार 2–राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 25 हजार रूपये नगद, विभिन्न बैंको के 36 एटीएम कार्ड, घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद आजमगढ़/कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त भिन्न भिन्न स्थानों में लगे एटीएम मशीन के पास रैकी कर एटीएम के बारे में कम जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की मदद के बहाने उनका पिन कोड देखकर एवं एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी कर पैसा निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1–सतेन्द्र कुमार निवासी भोपालपुर उमरी कलां थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

2–राहुल कुमार निवासी भोपालपुर उमरी कलां थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी**

1—25 हजार रूपये नगद।

2—विभिन्न बैंको के 36 एटीएम कार्ड।

3—घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल।

**जनपद शाहजहाँपुर/थाना कलान**

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 46 लाख रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय)कीमत की 460 ग्राम फाइन क्वालिटी की अवैध अफीम आदि बरामद**

दिनांक 30.07.2022 को थाना कलान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गैस गोदाम के पास से मादक पदार्थ तस्कर सर्वेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 46 लाख रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय) कीमत की 460 ग्राम फाइन क्वालिटी की अवैध अफीम आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कलान पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—सर्वेश निवासी पृथ्वीपुर ढाई थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।

**बरामदगी**

1—लगभग 46 लाख रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय) कीमत की 460 ग्राम फाइन क्वालिटी की अवैध अफीम आदि।

- **<u>जनपद बिजनौर/थाना अफजलगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा )</u>**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश नगीना बिजनौर द्वारा थाना अफजलगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों 1–प्रीतम 2–हरजिन्द्र उर्फ रजविन्दर 3–छिन्दर सिंह 4–लखविन्दर उर्फ लखवन्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना म्योरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/स्पे0 पॉक्सो एक्ट सोनभद्र द्वारा थाना म्योरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अवधेश को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––